64 / 2019

न्यायालयउपखण्ड अधिकारी, नोखा (बीकानेर)

रामू राम पुत्र अन्ना राम जाति जाट सा. पांचू तहसील नोखा .... प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- श्री मेघा राम गोदारा अभि. प्रार्थी की ओर से

--:निर्णय :--

दिनांक - 18.07.2019

1. प्रार्थी के नाम ग्राम भादला की रोही में खसरा सं. 117 (=1.65 हेक्टे.), 2267/610 (=0.44 हेक्टे.), 2268/611 (=0.30 हेक्टे.), 612 (=1.80 हेक्टे.) भूमि कब्जा काश्त अधिकार में है जिसका समीप के काश्तकारों से सीमा का विवाद है । अक्सर सीमा विवाद के चलते प्रार्थी सीमा ज्ञान व पत्थरगढी मय तारबन्दी करवाना चाहता है ।
2. पत्रावली के संलग्न मौका फर्द सीमा ज्ञान हल्का पटवारी रूबरू गवाहान दिनांक 08.06.2019 प्रस्तुत की है । हल्का पटवारी की सीमा ज्ञान फर्द में मौके पर खसरा सं. 2267/610 व 2268/611 की सीमाओं का विवाद है व मौके अनुसार इन खसरों का कब्जा क्षेत्रफल कम है जो कि पड़ौसी खातेदार भादर राम पुत्र हुक्मा राम जाट एवं मघी पत्नी स्व. मोटा राम जाट के द्वारा कब्जा कर रखा है ।
3. तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट अनुसार सीमा विवाद नहीं होकर कब्जा सम्बन्धी विवाद, पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित होता है तथा उक्त खसरान् 2267/610, 2268/611 मौके अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त में नहीं है ।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया । नक्शा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी के खेत खसरान् की भौगोलिक स्थित निम्न अनुसार है –

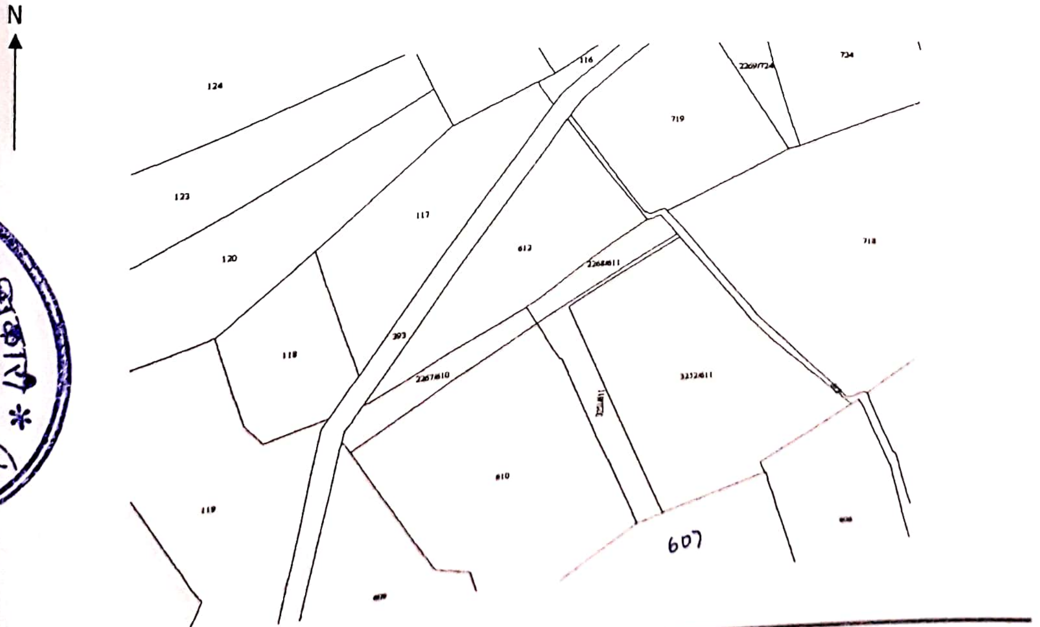

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

5. खसरा सं. 3252/611 के खातेदार भादरराम पुत्र हुकमाराम की धृति, दक्षिणी दिशा की ओर खसरा सं. 606, 607 की उत्तरी सीमा से क्षेत्रफल अनुसार पूरी होती है। इसी प्रकार खसरा सं. 3251/611 व 610 के खातेदार कुशलाराम पुत्र मोटाराम वगैरह की धृति, दक्षिणी दिशा की ओर खसरा सं. 607 की उत्तरी सीमा से क्षेत्रफल अनुसार पूरी होती है।
6. प्रार्थी का खसरा सं. 612, 2267/610 व 2268/611 का क्षेत्रफल मौके अनुसार दक्षिण दिशा में कम है जिसे खसरा सं. 610, 3251/611 व 3252/612 के खातेदारों के उत्तर दिशा की ओर कब्जे की अधिक भूमि में से पूरा किया जा सकता है।
7. हल्का पटवारी की पैमाईश अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा सं. 2267/610 व 2268/611 दक्षिण दिशा के खातेदारान् द्वारा कब्जा की हुई है जिसे प्रार्थी को कब्जा दिया जाना उचित है।
8. अतः हल्का पटवारी की पैमाईश के आधार पर पत्थरगढी व तत्पश्चात् कब्जादेही के आदेश दिये जाते हैं।
9. हल्का पटवारी मय भू अभिलेख निरीक्षक मौके पर जाकर 03 दिवस में प्रार्थी के संदर्भित खसरान् की पत्थरगढी कराकर तहसीलदार नोखा के मार्फत पालना पेश करेंगे।
10. पुलिस इमदाद यदि आवश्यक हो तो थानाधिकारी पांचू से पुलिस जाब्ता प्राप्त करे। थानाधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक रूप से मदद करे।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner